

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
अधिसूचना

अधिसूचना सं०- 4595/74 पटना, दिनांक 12/09/2025
ग्रा०वि०-14(पटना)बक्सर-03/2018

सुश्री अर्चना, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-289122) तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिमरी (बक्सर) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, कटैया (गोपालगंज) के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक-01-1591 दिनांक-19.09.2018 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ। जिला पदाधिकारी, बक्सर द्वारा प्रतिवेदित आरोपों पर विभागीय ज्ञापांक-400913 दिनांक-11.12.2018 द्वारा सुश्री अर्चना से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

जिला पदाधिकारी, बक्सर द्वारा आरोप पत्र में वर्णित आरोपों एवं सुश्री अर्चना द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत आरोपों की वृहत जांच हेतु अधिसूचना संख्या-367331 दिनांक-22.01.2021 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या-3186059 दिनांक-18.09.2024 द्वारा इनके विरुद्ध 'संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि अवरुद्ध करने' का दंड अधिरोपित किया गया है।

उक्त अधिरोपित दंड के विरुद्ध सुश्री अर्चना द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन दिनांक-30.10.2024 समर्पित किया गया। विभाग द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि सुश्री अर्चना के पुनर्विचार अभ्यावेदन में कोई भी नया तथ्य अंकित नहीं किया गया है।

अतः समीक्षोपरांत सुश्री अर्चना के पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(मन्जु प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

का०परि०
बही

ज्ञापांक:- 4595/74 /ग्रा०वि० पटना, दिनांक :- 12/09/25
ग्रा०वि०-14(पटना)बक्सर-03/2018

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में सी०डी० सहित) बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक- यथोक्त।

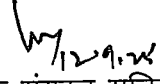

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 4595174 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 12/09/25

ग्रा0वि0-14(पटना)बक्सर-03/2018

स्पीड पोस्ट/
ई-मेल

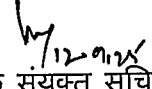
प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, बक्सर एवं गोपालगंज/ उप विकास आयुक्त, बक्सर एवं गोपालगंज/जिला कोषागार पदाधिकारी, बक्सर एवं गोपालगंज/आई.टी.मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग (विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्श हेतु)/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा- 03/ सुश्री अर्चना, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिमरी (बक्सर) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, कटैया (गोपालगंज) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 4595174 / पटना, दिनांक :- 12/09/25

ग्रा0वि0-14(पटना)बक्सर-03/2018

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव